



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092022-238867
CG-DL-E-16092022-238867

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 615]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 2022/भाद्र 23, 1944

No. 615]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 2022/BHADRA 23, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 695(अ).—मोटर यान (यान स्केपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य संशोधन) नियम, 2022 का प्रारूप, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 192(अ), तारीख 10 मार्च, 2022 में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त राजपत्र, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की प्रतियां जनता को 11 मार्च, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 59 की उपधारा (4) और धारा 64 के खंड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मोटर यान (यान स्केपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) संशोधन नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उपनियम (1) में, खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: --

“(ग) “निक्षेप प्रमाणपत्र” से रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा द्वारा और निरूपण के लिए उक्त रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा के लिए रजिस्ट्रीकृत स्वामी से यान के जमा की मान्यता के लिए, जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;”।

3. उक्त नियमों के नियम 4 में,--

(क) उपनियम (2) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपनियम (3) में, “के साथ-साथ स्थानीय पुलिस” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के नियम 5 के खंड (ज) में,--

(क) “औद्योगिक क्षेत्र” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपखंड (i) का लोप किया जाएगा ।

5. उक्त नियमों के नियम 6 के उपनियम (1) के खंड (ii) में, “जमा नब्बे दिन” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

6. उक्त नियमों के नियम 7 के उपनियम (5) में, “इस नियम” शब्दों के पश्चात्, “और नियम 6” शब्द और अंक अंतः स्थापित किए जाएंगे ।

7. उक्त नियमों के नियम 10 के उपनियम (1) में,--

(क) आरंभिक पैरा में, “रजिस्ट्रीकृत स्क्रेपर” शब्दों के स्थान पर, “रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) से खंड (xxi) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

“(i) रजिस्ट्रीकृत स्वामी, रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा या जमा करने के लिए अभिहित संग्रह केंद्र पर यान को जमा करने और आगे निरूपण के लिए, प्ररूप-2 के अनुसार वाहन पर डिजिटल रूप से आवेदन करेगा ।

(ii) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा और अभिहित संग्रह केंद्र, प्ररूप-2 में डिजिटल आवेदन करने में नागरिकों की सहायता के लिए सुविधा केंद्र के रूप में भी कार्य करेंगे ।

(iii) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा द्वारा सत्यापन के लिए, रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वारा प्ररूप-2 के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे, अर्थात् :--

(क) स्वामी की पहचान और उसके पते का सबूत, जैसे पासपोर्ट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, परिचालन अनुज्ञप्ति या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य सुसंगत पहचान कार्ड ;

(ख) यदि यान स्वामी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो, प्ररूप- 2 के पैरा 5 के अनुसार लागू प्राधिकृत प्रतिनिधि के लिए स्टॉप पेपर पर प्राधिकार पत्र ;

(ग) प्राधिकृत प्रतिनिधि (यदि लागू हो) की पहचान और उसके पते का सबूत, जैसे पासपोर्ट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, परिचालन अनुज्ञप्ति या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य सुसंगत पहचान कार्ड ।

(iv) स्वामी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा को रजिस्ट्रीकरण के मूल प्रमाणपत्र के साथ यान प्रस्तुत करेगा और प्ररूप-2क के अनुसार डिजिटल वचनबंध पर हस्ताक्षर करेगा ।

(v) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा भी प्ररूप-2ख के अनुसार डिजिटल वचनबंध पर हस्ताक्षर करेगा ।

(vi) किसी प्रवर्तन अभिकरण द्वारा परिबद्ध यान, रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा को सौंपे जाएंगे, यदि वे यान स्क्रेपिंग के लिए नियम 8 में उपबंधित मानदंड को पूरा करते हैं ।

(vii) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा, स्क्रेपिंग के लिए प्रस्तुत यानों के अभिलेख का वाहन पोर्टल के माध्यम से सत्यापन करेगा, जिसमें राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा धारित चोरी हुए वाहनों के डाटाबेस से सत्यापन सम्मिलित है ।

(viii) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा, यान के लिए तय प्रतिफल का, पाने वाले के खाते में देय चैक द्वारा या डिजिटल रूप से संचाय करेगा और उसके लिए स्वामी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि से अभिलेख हेतु रसीद प्राप्त करेगा ।

- (ix) किसी राज्य में स्थापित रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा, स्वामी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को विरूपित या छिद्रित करेगा और स्कैपिंग के लिए वाहन की स्वीकृति के साक्ष्य में रूप में, प्ररूप-2ग के अनुसार, वाहन में जमा का डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र जारी करेगा।
- (x) किसी राज्य में स्थापित रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा, किसी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की अधिकारिता के अधीन किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकृत यानों को स्वीकार और स्कैप कर सकेगा।
- (xi) पूरी प्रक्रिया, किसी भी यान रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की अवस्थिति पर ध्यान दिए बिना, अखिल भारतीय आधार पर वाहन के साथ सुचारू रूप से जुड़ी होगी।
- (xii) निक्षेप प्रमाणपत्र, स्वामी के लिए एक नया यान खरीदने के लिए, समय-समय पर घोषित प्रोत्साहन और फायदा प्राप्त करने के लिए आवश्यक और पर्याप्त दस्तावेज होगा उक्त प्रमाणपत्र की वैधता जारी किए जाने की तारीख से दो वर्ष होगी।
- (xiii) निक्षेप प्रमाणपत्र, इलेक्ट्रॉनिक रूप से विनिमय योग्य होगा।
- (xiv) निक्षेप का अंतरण प्रमाणपत्र, प्रत्येक नए स्वामी के लिए प्ररूप-2घ के अनुसार व्यावसायिक मंच पर सृजित किया जाएगा और निक्षेप के प्रमाण पर, उसका एक बार उपयोग कर लिए जाने के बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या उक्त प्रमाणपत्र के धारक को लाभ प्रदान करने वाले व्यवहारी द्वारा वाहन डाटाबेस में “निरस्त” का चिन्ह लगा दिया जाएगा।
- (xv) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या निक्षेप प्रमाणपत्र के विरुद्ध क्रय किए गए नए यान को रजिस्ट्रीकृत करने वाला व्यवहारी निक्षेप प्रमाणपत्र को डिजिटल रूप से सत्यापित और अधिप्रमाणित करेगा।
- (xvi) रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा, जिस राज्य में यान का रजिस्ट्रीकरण हुआ है, यान के रजिस्ट्रीकरण को निरस्त कराने के लिए सड़क यातायात या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को यान स्कैपिंग के प्रमाणपत्र के साथ रजिस्ट्रीकरण (विरूपित या छिद्रित) के मूल प्रमाणपत्र के भौतिक पारेषण की प्रक्रिया आसान बनाएगा।
- (xvii) रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा, नियम 11 के अधीन जारी यान स्कैपिंग के प्रमाणपत्र के जारी होने की तारीख से छह मास की अवधि के लिए चेसिस के नंबर के कटे हुए टुकड़ों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।
- (xviii) रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा, निरीक्षण के दौरान रिकार्ड और जांच के लिए दस साल की अवधि के लिए सभी दस्तावेजों की डिजिटल स्कैन प्रति को सुरक्षित रखेगा।
- (xix) रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा यह सुनिश्चित करेगा कि स्कैप किए गए यान के परिसंकटमय भागों को हटाने या पुनर्चक्रण या निपटान, चलने वाले यानों की समाप्ति का पर्यावरण अनुकूलन प्रबंधन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है।
- (xx) यानों को तब तक स्कैप नहीं किया जाएगा, जब तक ईंधन, तेल, जमावरोधी या अन्य गैसों, तरल पदार्थों को प्रमाणित मानक कंटेनरों में सुखाया या एकत्रित नहीं कर लिया जाता है।
- (xxi) स्कैप यानों का डिजिटल रजिस्टर प्ररूप-3 में सुरक्षित रखा जाएगा।”।

8. उक्त नियमों के नियम 11 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्: --

“(1) आवश्यक निरूपण के पश्चात्, रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा, प्ररूप-4 के अनुसार चेसिस को काटने के डिजिटल फोटो सहित यान के स्कैपिंग का डिजिटल प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, जिससे वाहन डाटाबेस को अद्यतन किया जा सके और यान के रिकार्ड को अद्यतन करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा।”।

9. उक्त नियमों के नियम 13 में,--

(क) उपनियम (8) के खंड (ख) में, “छोटे-छोटे टुकड़े करना, कर्तन, बेलिंग” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपनियम (12) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(12) रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा, स्कैपिंग यार्ड के अतिरिक्त, अन्य स्थान पर कोई संग्रहण केंद्र स्थापित कर सकेगा और यदि संग्रहण केंद्र प्रदूषण निवारण और निराकरण जैसी क्रियाकलापों का वचन देता है, जब रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा के लिए लागू अपेक्षाएं ऐसे संग्रहण केंद्र को भी लागू होंगी।”।

10. उक्त नियमों के नियम 14 के उपनियम (4) में, "तक प्रस्तुत की जाएगी" शब्दों के पश्चात् "और उक्त संपरीक्षा और निर्धारण की लागत ऐसी सुविधा के प्रचालक द्वारा वहन की जाएगी" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे।

11. उक्त नियमों के प्ररूप-1 और प्ररूप-2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"प्ररूप-1

(नियम 6(1) देखें)

रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) के लिए आवेदन

1. कार्यालय उपयोग के लिए

निम्न के लिए आवेदन	जो लागू हो, उस पर टिक करें
एक नए आरवीएसएफ के लिए रजिस्ट्रीकरण	
मौजूदा आरवीएसएफ के लिए पंजीकरण का नवीनीकरण	
मौजूदा पंजीकरण में संशोधन	

आवेदन संख्या	
आवेदन तारीख	
तारीख	
शुल्क	
सुरक्षा जमा	

2. साधारण जानकारी

(i)	नाम	
(ii)	संक्षिप्त नाम (अधिकतम 35 वर्ण)	
(iii)	पता	
(iv)	टेलीफोन	
(v)	फैक्स	
(vi)	ईमेल	
(vii)	सीआईएन	
(viii)	पैन	
(ix)	जीएसटी	
(x)	प्रास्थिति	कंपनी फर्म ट्रस्ट सोसाइटी स्वत्व-धारी सरकारी जेबी पीपीपी
(xi)	संलग्नक	एमओए एओए
(xii)	कंपनी के विद्यमान क्रियाकलाप (राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण कोड)	

3. संयंत्र का विवरण

(क)	स्थान (मानचित्र प्रदान करें)			
(ख)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)			
(ग)	अधिकृत क्षेत्र का विवरण	स्वामित्वाधीन	पट्टा/अवधि	वर्ष
(घ)	राज्य			
(ङ)	जिला			

4. कंपनी के प्रस्तावित कार्यकलाप	एल यान	हां	नहीं	क्षमता		अदद
	एम यान	हां	नहीं	क्षमता		अदद
	एन यान	हां	नहीं	क्षमता		अदद
	अन्य	हां	नहीं	क्षमता		अदद
5. प्रस्तावित पूंजी संरचन (लाख रुपया)	प्राधिकृत					
	अभिदत्त					
	संदत्त					
6. कर्मचारियों की प्रस्तावित संख्या						

7. स्थान की उपलब्धता

(क)	निम्नलिखित स्थान और क्षेत्र (वर्गमीटर) को प्रदर्शित करते हुए संयंत्र का डिजाइन और लेआउट:-	
(ख)	अपशिष्ट यानों की सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल पार्किंग के लिए प्रयोजन विशिष्ट क्षेत्र (वर्गमीटर)	
(ग)	अलग किए गए स्क्रेप के भंडारण के लिए निर्धारित क्षेत्र (वर्गमीटर)	
(घ)	संसाधित स्क्रेप और प्रयोग करने योग्य भागों के लिए स्थान (वर्गमीटर)	
(ङ)	ऑटोमोटिव खतरनाक कचरे के अस्थायी भंडारण के लिए निर्धारित स्थान (वर्गमीटर)	
(च)	पुर्जों, स्क्रेप और अपशिष्ट उत्पादों के सुरक्षित परिवहन की पार्किंग के लिए स्थान (वर्गमीटर)का उपबंध	

8. उपकरणों की उपलब्धता

(क)	प्रमाणित गैर प्रदूषणकारी उपकरण	हां	नहीं
(ख)	प्रमाणित खतरा विहीन उपकरण	हां	नहीं
(ग)	सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य उपकरण	हां	नहीं

9. पर्यावरणीय मंजूरी

(क)	स्थापित करने के लिए सहमति	
(ख)	संचालित करने के लिए सहमति	

10. वचनबंधता

आवेदक वचन देता है कि				
(क)	स्क्रेप किए गए वाहनों के सुरक्षित निपटान के लिए सीपीसीबी दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा	हां	नहीं	
(ख)	पंजीकरण जारी होने के 12 महीनों के भीतर गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा			
	i)	आईएसओ 9001	हां	नहीं
	ii)	आईएसओ 14001	हां	नहीं
	iii)	आईएसओ 45001	हां	नहीं
(ग)	खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (2016) का अनुपालन	हां	नहीं	

डिजिटल हस्ताक्षर/ऑफलाइन प्ररूप की दशा में कंपनी की मुहर

तारीख :

प्ररूप - 2

(नियम 10(1) देखें)

वाहन स्क्रेपिंग के लिए आवेदन

1.	स्वामी के ब्यौरे		
	(क)	नाम	
	(ख)	पता	
	(ग)	मोबाइल संख्या	
	(घ)	ई मेल	
	(ङ)	पैन	
	(च)	बैंक खाता	
	(i)	बैंक का नाम	
	(ii)	शाखा	
	(iii)	खाता संख्या	
	(iv)	आईएफएससी	

	(v)	प्राप्त विचार (रु)	
	(vi)	रसीद संख्या और तारीख	
2. वाहन विवरण			
	रजिस्ट्रीकरण संख्या		
	बनाना		
	मॉडल		
	वाहन श्रेणी		
	चेसिस संख्या		
	इंजन संख्या		
	निर्माण का महीना/ वर्ष		
3. दस्तावेज			
	(क)	रजिस्ट्रीकरण का मूल प्रमाणपत्र	
	(ख)	स्टांप पेपर पर रजिस्ट्रीकृत स्वामी से प्राधिकरण	
	(ग)	अधिकृत प्रतिनिधि की पहचान और पते का प्रमाण, यदि लागू हो	
	(घ)	स्वामी की पहचान और पते का प्रमाण	
4. प्ररूप -2 जमा करने के समय आवेदक द्वारा वचनबद्धता			
<p>मैं/ हम..... निवासी..... के द्वारा घोषित किया जाता है कि मेरे/हमारे द्वारा इस प्ररूप में दिए गए सभी विवरण सत्य और सही हैं; विषय वाहन किसी भी प्रकार की आपराधिक क्रियाकलाप /मुकदमेबाजी में शामिल नहीं है और यह महसूस करता है कि मैं/हम किसी भी झूठ के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं।</p>			
5. प्राधिकरण का पत्र			
<p>1. के निवासी के पुत्र/पुत्री वाहन रजिस्ट्रीकरण संख्याप्राधिकृत करते हैं के पुत्र/पुत्री..... निवासी के रूप में ऊपर बताए गए वाहन को स्कैपिंग के उद्देश्य से < आरवीएसएफ नाम> पर जमा करने के लिए मेरे विधिक अधिकार के रूप में ऊपर दी गई घोषणा।</p> <p>2. यह कि उपरोक्त अधिकृत व्यक्ति द्वारा जमा किया गया उक्त वाहन केवल सभी विधिक प्रयोजनों और आशाओं के लिए मेरे द्वारा जमा किया गया माना जाएगा।</p>			
हस्ताक्षर		हस्ताक्षर	
(अधिकृत प्रतिनिधि)		(रजिस्ट्रीकृत वाहन स्वामी)	

	हस्ताक्षर प्रमाणित
	तारीख:
	स्थान:

प्ररूप - 2क

वाहन जमा करने के समय आवेदक द्वारा का वचन

(नियम 10(1) के प्रति निर्देश)

हम/हम,..... निवासी..... के घोषित करता हूं कि मेरे/हमारे द्वारा प्ररूप 2 आवेदन में प्रस्तुत सभी विवरण सत्य और सही हैं; रजिस्ट्रीकरण संख्या.....के साथ संबंधित वाहन किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि/मुकदमेबाजी में लिप्त नहीं है और यह महसूस करता है कि मैं/हम प्ररूप -2 में प्रस्तुत किसी भी झूठी घोषणा के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। मैं/हम घोषणा करते हैं कि उक्त वाहन पर कोई बकाया नहीं है; उक्त वाहन के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में किराया-खरीद, पट्टा, या दृष्टिबंधक समझौता विधिवत निर्वहन किया गया है और मैं/हम इस <तारीख और समय टिकट> से पहले लंबित ऐसे किसी भी बकाया और शुल्क के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे और मैं/हम ऐसे सभी शुल्कों से रजिस्ट्रीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा < आरवीएसएफ नाम>..... की पूर्ण रूप से अस्वीकृति करते हैं।

प्ररूप - 2ख

वाहन प्रस्तुत करते समय पर रजिस्ट्रीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) द्वारा उपक्रम

(नियम 10(1) के प्रति निर्देश)

मैं/हम,..... <आरवीएसएफ नाम> की ओर से..... घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम इसके पश्चात <तारीख और समय टिकट>..... रजिस्ट्रीकृत संख्या..... के साथ वाहन के अधीन प्रोद्भूत किसी भी प्रकार की आपराधिक क्रियाकलाप/मुकदमेबाजी के आरोपों और वित्तीय देय जैसे चालान, मोटर वाहन कर आदि के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं और मैं/हम रजिस्ट्रीकृत वाहन स्वामी <नाम>..... को ऐसे सभी शुल्कों से पूर्ण रूप से माफ करता हूं/ करते हैं।

प्ररूप -2ग

जमा प्रमाणपत्र (नियम 10(1) के प्रति निर्देश)



(सीडी की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए क्यूआर कोड)

जमा प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं.:

हम <आरवीएसएफ का नाम> प्रमाणित करते हैं कि वाहनों के निपटान के इन नियमों के अनुसार विवेचन के लिए तारीख हमारी आवक संख्या.....द्वारा हमारी सुविधा पर पहले रजिस्ट्रिकरण के वर्ष के साथ वाहन रजिस्ट्रिकरण संख्या.....को स्वीकार कर लिया गया है और तारीख..... भुगतान वाउचर संख्या.....द्वारा स्वामी को सहमत विचार का भुगतान किया गया है।

वाहन की सूचना:

बनाना:	मॉडल:
वाहन की श्रेणी/वर्ग:	वाहन का प्रकार (परिवहन/गैर-परिवहन):
ईंधन का प्रकार:	घन क्षमता:
बैठने की क्षमता:	विनिर्माण का वर्ष (वर्ष):
सभी अनलोडेड वजन (किलो में):	सिलेडर्स की संख्या:
रजिस्ट्रिकृत सकल वाहन वजन (किलो में):	ब्रेकलब्रेस (मिमी):

इस प्रमाणपत्र का मालिक एक नए वाहन की खरीद पर निम्नलिखित लाभों का दावा करने का हकदार है। इनका लाभ केवल एक बार ही उठाया जा सकता है।

1. सीएमवीआर, 1989 के नियम 81 के अनुसार पंजीकरण शुल्क में छूट
2. नए वाहन की खरीद की स्थिति में यथा निर्धारित मोटर वाहन कर पर रियायत
3. ऑटो ओईएम डीलरों के विवेक के अनुसार ऑटो ओईएम छूट

हम आगे प्रमाणित करते हैं, कि विवेचन पूरा होने पर, राष्ट्रीय रजिस्टर (वाहन डेटाबेस) और अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा।

यह प्रमाणपत्र <सीडी> के वर्तमान स्वामी के नाम पर है और तक वैध है।

जारी करने की तारीख :

आरवीएसएफ संख्या:

स्कैनिंग का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र :

(आरवीएसएफ का डिजिटल हस्ताक्षर)

अस्वीकरण: उपयोग के समय इस प्रमाण पत्र को सत्यापित करने की आवश्यकता है

ट्रेडिंग जानकारी



**जमाराशि का अंतरण प्रमाणपत्र
(नियम 10(1) के प्रति निर्देश)**

प्रमाणपत्र सं.:

प्रमाणपत्र वाहन..... रजिस्ट्रीकरण संख्या से संबंधित..... से..... पैन संख्या..... मोबाइल संख्या.....के साथ का व्यापार और हस्तांतरण कर दिया गया है

जमा प्रमाणपत्र (सीओडी)..... को जारी किया गया था और..... तक मान्य है

वाहन की सूचना:

बनाना	मॉडल
वाहन श्रेणी/वर्ग:	वाहन प्रकार (परिवहन/गैर-परिवहन):
ईंधन का प्रकार:	घन क्षमता:
बैठने की क्षमता	निर्माण का वर्ष (व व व)
सभी अनलोडेड वजन (किलो में):	सिलेंडरो की संख्या
(रजिस्ट्रीकृत सकल वाहन वजन (किलो में):	व्हीलबेस (मिमी):

इस प्रमाणपत्र का स्वामी एक नए वाहन की खरीद पर निम्नलिखित लाभों का दावा करने का हकदार है। इन लाभों का फायदा केवल एक बार लिया जा सकता है।

1. सीएमवीआर, 1989 के नियम 81 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण शुल्क में छूट
2. नए वाहन की खरीद की स्थिति में निर्धारित मोटर वाहन कर पर छूट
3. ऑटो ओईएम डीलरों के विवेक के अनुसार ऑटो ओईएम छूट

व्यापार तारीख

सत्यमेव जयते

व्यापार संख्या

अस्वीकृति: **इस प्रमाण पत्र को उपयोग के समय सत्यापित करने की आवश्यकता है**

ट्रेडिंग जानकारी

आप इन 4 बुनियादी चरणों का पालन करके भी इस प्रमाणपत्र का व्यापार कर सकते हैं।



1
ट्रेड पर क्लिक करें
या ट्रेडिंग पोर्टल पर
जाएं

2
विक्रय के
लिए अपनी
कीमत कोट

3
खरीदार उद्धरण
खरीद मूल्य

4
स्वामी आवंटित करता है और
खरीदार पुष्टि करता है

डीएससी हस्ताक्षर

जमा प्रमाणपत्र का व्यापार इतिहास

सीओडी स्वामी का नाम	व्यापार तारीख	व्यापार संदर्भ संख्या
	मूल स्वामी	



सत्यमेव जयते

MORTH
Government of India

12. उक्त नियम के प्ररूप-3 में मास फ्लो से संबंधित क्रमांक 3 में,-

- (क) इनवर्डर्स से संबंधित मद क के अधीन, उप-मद v के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सकल योग (i+ii+iii+iv=X)" को रखा जाएगा;
- (ख) बाहर से संबंधित मद ख के अधीन, उप-मद (ix) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "उप कुल (क)" को रखा जाएगा;
- (ग) पुनः प्रसंस्करण के लिए खतरनाक अपशिष्ट से संबंधित मद ग के अधीन, उप मद (vi) के सामने प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "उप-कुल (ख)" को रखा जाएगा;
- (घ) खतरनाक कचरे से लैंडफिल से संबंधित मद घ के अधीन, उप-मद (iii) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "उप-कुल (ग)" को रखा जाएगा;
- (ङ) प्रविष्टि ड और च के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "सकल योग (क+ख+ग = वाई)" और "मास बैलेंस (एक्स-वाई)" प्रविष्टियों को रखा जाएगा।

13. उक्त नियम के प्ररूप-4 में,-

- (क) वाहन विवरण से संबंधित क्रम संख्या 4 में, मद घ के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, "विनिर्माण का वर्ष (व व)" प्रविष्टि को रखा जाएगा;
- (ख) क्रम संख्या 6 के सामने की प्रविष्टि में, "इसे देखने के लिए देखें" शब्दों के स्थान पर, शब्द "यह" रखा जाएगा।

[सं. आरटी-23013/01/2018-टी]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 653 (अ), तारीख 23 सितम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2022

G.S.R. 695(E).—Whereas, draft of the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility Amendment) Rules, 2022 was published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 192 (E), dated the 10th March, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to public;

And, whereas, copies of the said Official Gazette in which the said notification was published, were made available to the public on the 11th March, 2022;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 59 and clause (p) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules, namely:

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021, (hereinafter referred as the said rules), in sub-rule (1) of rule 3, for clause (c), the following shall be substituted, namely: —

“(c) “Certificate of Deposit” means the certificate issued by the Registered Vehicle Scrapping Facility to recognise the submission of the vehicle from the registered owner to the said Registered Vehicle Scrapping Facility for further treatment;”.

3. In rule 4 of the said rules, —

- (a) sub-rule (2) shall be omitted;
- (b) in sub-rule (3), the words “as well as with the local Police” shall be omitted.

4. In rule 5 of the said rules, in clause (h), —

- (a) the words “industrial zone” shall be omitted;
- (b) sub-clause (i) shall be omitted.

5. In rule 6 of the said rules, in sub-rule (1), in clause (ii), the words “, plus ninety days” shall be omitted.

6. In rule 7 of the said rules, in sub-rule (5), after the words “under this rule”, the words and figure “and rule 6” shall be inserted.

7. In rule 10 of the said rules, in sub-rule (1), —

(a) in the opening paragraph for the words “Registered Scrapper”, the words “Registered Vehicle Scrapping Facility” shall be substituted;

(b) for clauses (i) to (xxi), the following clauses shall be substituted, namely: —

“(i) The registered owner shall apply digitally on Vahan as per Form-2 to the Registered Vehicle Scrapping Facility or the designated Collection Centre for deposit and further treatment of the vehicle.

(ii) The Registered Vehicle Scrapping Facility and the designated Collection Centre shall also act as facilitation centres to support citizens with digital application of Form-2;

(iii) The following documents shall be uploaded along with Form-2 by the registered owner for verification by the Registered Vehicle Scrapping Facility, namely:—

- (a) identity and address proof of the owner such as passport, voter card, Aadhar card, driving license or other relevant identity card issued by the State Government or the Central Government;
- (b) letter of authorisation on stamp paper for the authorised representative as per para 5 of Form-2, applicable, if the vehicle is not to be submitted by the owner;
- (c) identity and address proof of the authorized representative (if applicable) such as passport, voter card, Aadhar card, driving license or other relevant identity card issued by the State Government or the Central Government.

(iv) The owner or his authorised representative shall submit the vehicle along with the original certificate of registration to the Registered Vehicle Scrapping Facility and sign a digital undertaking as per Form-2A.

(v) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall also sign a digital undertaking as per Form-2B

(vi) Vehicles impounded by an enforcement agency shall be handed over to the Registered Vehicle Scrapping Facility, if they meet the criteria for vehicle scrapping as provided under rule 8.

(vii) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall verify the records of the vehicles produced for scrapping through the Vahan portal including verification with the database of the stolen vehicles held by National Crime Records Bureau.

(viii) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall digitally remit or pay by an account payee cheque, the agreed consideration for the vehicle and obtain a receipt for the same from the owner or his authorised representative for record.

(ix) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall deface or punch the certificate of registration in the presence of the owner or his authorised representative and issue a digitally signed Certificate of Deposit in Vahan, as per Form-2C, as evidence of acceptance of vehicle for scrapping.

(x) The Registered Vehicle Scrapping Facility established in a State may accept and scrap the vehicles registered in any of the State or Union territory under the jurisdiction of any Registration Authority.

(xi) The whole process shall be seamlessly linked with Vahan on all India basis irrespective of the location of any vehicle registering authority.

(xii) The Certificate of Deposit shall be a necessary and sufficient document for the owner to avail incentives and benefits for purchase of a new vehicle as may be declared from time to time and the validity of the said certificate shall be two years from the date of issuance.

(xiii) The Certificate of Deposit shall be electronically tradeable.

(xiv) The transfer Certificate of Deposit shall be generated on the trading platform for each new owner as per Form- 2D and the Certificate of Deposit once utilised shall be marked “Cancelled” in the Vahan database by the regional transport office or dealer providing the benefits to the bearer of the said certificate.

(xv) The regional transport office or dealer registering the new vehicle purchased against the Certificate of Deposit shall verify and authenticate the Certificate of Deposit digitally.

(xvi) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall facilitate the process of physical transmission of original certificate of registration (defaced or punched) along with Certificate of Vehicle Scrapping to road transport or regional transport office, in the State of registration of the vehicle, to get the vehicle registration cancelled.

(xvii) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall have the cut piece of the chassis number in safe custody for a period of six months from the date of issue of Certificate of Vehicle Scrapping, issued under rule 11.

(xviii) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall maintain digital scanned copy of all documents for a period of ten years for record and examination during inspection.

(xix) The Registered Vehicle Scrapping Facility shall ensure that removal or re-cycling or disposal of hazardous parts of the scrapped vehicle is done as per the guidelines issued by the Central Pollution Control Board for environmentally sound management of End-of-Life Vehicles and AIS-129.

(xx) Vehicles shall not be scrapped until the fuel, oil, antifreeze, and other gases, fluids are drained and collected in certified standard containers.

(xxi) A digital register of vehicles scrapped shall be maintained in Form-3.”.

8. In rule 11 of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

“(1) The Registered Vehicle Scrapping Facility, after completing the necessary treatment, shall issue a digital Certificate of Vehicle Scrapping, including a digital photograph of the cut out of the chassis, in Form-4 to update the VAHAN Database and inform the competent authority of the State Government or Union territory Administration for updating of records of the vehicle.”.

9. In rule 13 of the said rules, —

(a) in sub-rule (8), in clause (b), the words “shredding, shearing, bailing” shall be omitted;

(b) for sub-rule (12), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

“(12) A Registered Vehicle Scrapping Facility may establish any collection centre at any other place, other than the Scrapping Yard and, if collection Centre undertakes activities such as, depollution and dismantling, then, the requirements applicable for a Registered Vehicle Scrapping Facility shall also be applicable to such Collection Centre.”.

10. In rule 14 of the said rules, in sub-rule (4), after the words “Registered Scrapper”, the words “and the cost of said audit and assessment shall be borne by the operator of such facility” shall be added.

11. For Forms 1 and 2 of the said rules, the following Forms shall be substituted, namely: —

“FORM- 1
(Refer rule 6(1))
APPLICATION FOR REGISTERED VEHICLE SCRAPPING FACILITY (RVSF)

1. FOR OFFICE USE

Application for	Please tick as applicable
Registration for a new RVSF	
Renewal of Registration for existing RVSF	
Modification in existing registration	

APPLICATION NO	
APPLICATION DATE	
DATE	
FEE	
SECURITY DEPOSIT	

2. GENERAL INFORMATION

(i)	Name									
(ii)	Short name (max 35 chars)									
(iii)	Address									
(iv)	Tel									
(v)	FAX									
(vi)	Email									
(vii)	CIN									
(viii)	PAN									
(ix)	GST									
(x)	Status	Company	Firm	Trust	Society	Proprietor	Govt	JV	PPP	
(xi)	Attach	MoA					AoA			
(xii)	Existing Activities of the Company (National Industrial Classification Code)									

3. PLANT DETAILS

(a)	Location (Provide Map)			
(b)	Area (sq m)			
(c)	Possession Details	Owned	Lease/Period	Years
(d)	State			
(e)	District			

4. Proposed Activities of the Company	L Vehicles	Yes	No	Capacity	Nos
	M Vehicles	Yes	No	Capacity	Nos

	N Vehicles	Yes	No	Capacity		Nos
	Other	Yes	No	Capacity		Nos
5. Proposed Capital Structure (INR Lakh)	Authorized					
	Subscribed					
	Paid-Up					
6. Proposed No of Employees						

7. Availability of Space

(a)	Plant Design and Layout, showing following spaces and areas (sqm):-	
(b)	Earmarked area for the safe and environmentally compliant parking of waste vehicles (sqm)	
(c)	Designated areas for storing the segregated scrap (sqm)	
(d)	Space for processed scrap and usable parts (sqm)	
(e)	Designated space for temporary storage of automotive hazardous waste (sqm)	
(f)	Provision of space for parking and safe transportation of spares, scrap and waste products (sqm)	

8. Availability of Equipment

(a)	Certified de-polluting equipment	Yes	No
(b)	Certified de-risking equipment	Yes	No
(c)	Safety and occupational health equipment	Yes	No

9. Environmental Clearance

(a)	Consent to Establish	
(b)	Consent to Operate	

10. Undertaking

The Applicant hereby undertakes to			
(a)	Comply with CPCB Guidelines for the Safe Disposal of scrapped vehicles	Yes	No
(b)	Obtain the Quality Certifications within 12 Months of Issue of Registration		
	(i) ISO 9001	Yes	No
	(ii) ISO 14001	Yes	No
	(iii) ISO 45001	Yes	No
(c)	Comply with the Hazardous Waste Management Rules (2016)	Yes	No

Digital Signature/ Company Seal in case on offline form

--

Date

FORM – 2
(Refer rule 10(1))
APPLICATION FOR VEHICLE SCRAPPING

1. OWNER DETAILS		
(A)	NAME	
(B)	ADDRESS	
(C)	MOBILE NO	
(D)	E MAIL	
(E)	PAN	
(F)	BANK ACCOUNT	
	(i)	NAME OF BANK
	(ii)	BRANCH
	(iii)	ACCOUNT NUMBER
	(iv)	IFSC
	(v)	CONSIDERATION RECEIVED (Rs)
	(vi)	RECEIPT NO AND DATE
2. VEHICLE DETAILS		
	REGISTRATION NO	
	MAKE	
	MODEL	
	VEHICLE CATEGORY	
	CHASSIS NO	
	ENGINE NO	
	MONTH/YEAR OF MANUFACTURE	
3. DOCUMENTS		
(A)	Original Certificate of Registration.	
(B)	Authorization from the registered owner on stamp paper	
(C)	Identity and address proof of the authorised representative, if applicable	
(D)	Identity and address proof of the owner	
4. UNDERTAKING BY APPLICANT AT TIME OF FORM-2 SUBMISSION		
	I/We ,..... Resident of hereby declare that all the particulars furnished by me / us in this form are true and correct; the subject vehicle is not engaged in any kind of criminal activity/litigation and realize that I/WE are fully liable for any false declaration furnished above.	
5. LETTER OF AUTHORISATION		
1.	I.....son/daughter of.....resident of.....owner of vehicle registration	

number.....do hereby authorise..... son/ daughter of..... resident of.....as my legal authority to deposit the above stated vehicle for the purpose of scrapping at the <RVSF Name>	
2. That the above stated vehicle deposited by the above stated authorized person shall be deemed as if deposited by me only for all legal purposes and intents	
Signature (Authorized Representative)	Signature (Registered vehicle owner)
Signature attested	
Date:	
Place:	

FORM – 2A
UNDERTAKING BY APPLICANT AT THE TIME OF VEHICLE SUBMISSION
(Refer rule 10(1))

I/ We,..... Resident of hereby declare that all the particulars furnished by me / us in Form 2 application are true and correct; the subject vehicle with registration number..... is not engaged in any kind of criminal activity/litigation and realize that I/We are fully liable for any false declaration furnished in Form-2. I/We hereby declare that there are no pending dues on the said vehicle; the hire-purchase, lease, or hypothecation agreement in the certificate of registration of the said vehicle has been duly discharged and that I/We shall be fully liable for any such dues and charge pending before this <date and time stamp> and I/We fully indemnify the Registered Vehicle Scrapping Facility <RVSF name>..... from all such charges.

FORM – 2B
UNDERTAKING BY REGISTERED VEHICLE SCRAPPING FACILITY (RVSF) AT THE TIME OF VEHICLE SUBMISSION
(Refer rule 10(1))

I/We,.....on behalf of <RVSF Name> hereby declare that I/We are fully liable for any kind of criminal activity/litigation charges and financial dues such as challans, motor vehicle tax etc. accrued on the subject vehicle with registration number..... after this <date and time stamp> and I/We fully indemnify the registered vehicle owner <name>..... from all such charges.

FORM – 2C
CERTIFICATE OF DEPOSIT
(Refer rule 10(1))



(QR code for validation of Certificate of Deposit)

CERTIFICATE OF DEPOSIT

Certificate No:

We <RVSF Name> certify that **Vehicle Registration No**..... with **Year of first registration** as has been accepted at our facility vide our **Inward No**..... **dated**..... for treatment in accordance with these rules for the Disposal of Vehicles and the agreed consideration has been paid to the owner vide our **Payment Voucher No**..... **dated**.....

Vehicle Details:

Make:	Model:
Vehicle Category/Class:	Vehicle Type (Transport/Non-Transport):
Fuel type:	Cubic capacity:
Seating capacity (in all):	Year of manufacturing (YYYY):
Unladen weight (kgs):	Number of cylinders:
Registered gross vehicle weight (kgs):	Wheelbase (mm):

The owner of this certificate is entitled to claim the following benefits on purchase of one new vehicle. These benefits can be availed only once.

1. Registration fee waiver as per Rule 81 of CMVR, 1989
2. Concession on motor vehicle tax as prescribed in the state of purchase of new vehicle
3. Auto OEM discount as per the discretion of auto OEM dealers

We further certify, that on completion of Treatment, the National Register (VAHAN Database) and the competent authority would be intimated for updating records.

This certificate is in the name of <current owner of CD> and is valid until.....

Date of issuance:
State/UT of scrapping:
RVSF No:

(Digital signature of RVSF)

Disclaimer: This certificate needs to be validated at the time of utilization

Trading Information

You can also trade this certificate by following these 4 basic steps.



Certificate No.:

The certificate has been traded and transferred to with Mobile No., PAN No.
 from, pertinent to the Vehicle Registration No.

The Certificate of Deposit (COD) was issued on and is valid until

Vehicle Details:

Make:	Model:
Vehicle Category/Class:	Vehicle Type (Transport/Non-Transport):
Fuel type:	Cubic capacity:
Seating capacity (in all):	Year of manufacturing (YYYY):
Unladen weight (kgs):	Number of cylinders:
Registered gross vehicle weight (kgs):	Wheelbase (mm):

The owner of this certificate is entitled to claim the following benefits on purchase of one new vehicle. These benefits can be availed only once.

1. Registration fee waiver as per Rule 81 of CMVR, 1989
2. Concession on motor vehicle tax as prescribed in the state of purchase of new vehicle
3. Auto OEM discount as per the discretion of auto OEM dealers

Trade Date:**Trade No.:**

Disclaimer: This certificate needs to be validated at the time of utilization

Trading Information

You can also trade this certificate by following these 4 basic steps.

**DSC Signature**

Trade History of Certificate of Deposit

COD Owner Name	Trade date	Trade Reference No.
	Original Owner	



सत्यमेव जयते

MORTH
Government of India

”.

12. In Form-3 of the said rules, in serial number 3 relating to MASS FLOW, –

- (a) under item A relating to INWARDS, for the entry against sub-item v, the entry “GRAND TOTAL (i+ii+iii+iv=X)” shall be substituted;

- (b) under item B relating to OUTWARDS, for the entry against sub-item (ix), the entry “SUB-TOTAL (a)” shall be substituted;
- (c) under item C relating to HAZARDOUS WASTE FOR REPROCESSING, for the entry against sub-item (vi), the entry “SUB-TOTAL (b)” shall be substituted;
- (d) under item D relating to HAZARDOUS WASTE TO LANDFILL, for the entry against sub-item (iii), the entry “SUB-TOTAL (c)” shall be substituted;
- (e) for the entries against items E and F, the entries “GRAND TOTAL (a+b+c=Y)” and “MASS BALANCE (X-Y)” shall be respectively be substituted.

13. In Form-4 of the said rules,—

(a) in serial number 4 relating to VEHICLE DETAILS, for the entry against item d, the entry “Year of Manufacture (YY)” shall be substituted;

(b) in the entry against serial number 6, for the words “View forgoing it”, the word “It” shall be substituted.

[No. RT-23013/01/2018-T]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy

Note. – The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* Notification number G.S.R. 653 (E), dated the 23rd September, 2021.